फर्द अहकाम

रामजीलाल बनाम .जगदीश प्रसाद

म न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी प्रार्थना पत्र 74/2024

स्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

म ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28.03.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 6 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 7 पेरोकार सरकार की मूलवाद में सम्यक तामील होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने जवाब पूर्व में प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुऐ वादग्रस्त आराजी ख0नं0 320/270 रकबा 0.1897 है0 स्थित ग्राम भूडला पटवार हल्का भूडला भू0अ0नि0 पाटन तह0 तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 84/2024 उनवान रामजीलाल बनाम जगदीश प्रसाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	